

(५६.....)

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम चौक इतर के खाता सं. 27, 29 खसरा नं..... में आवेदन पत्र अनुसार भिववा पुत्र कांती के स्थान पर भिववा पुत्र लक्ष्मी नारायण किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प PDDUASP ग्राम पंचायत चौक में दिनांक 30/6/25 को सजमेआम में सुनाया गया।



30/6/25  
उपखण्ड अधिकाारी  
फागी